प्रेमी बनाम धर्मीचन्द

किस्म 3-- 212 पं.सं. 12/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/3/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मौखिक बहस को सुना बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तदनुसार प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली बाद फैसला होकर दाखिल दफ्तर रहे। आदेश आज दिनांक 8/3/2021 को खुली अदालत में सुनाया गया। ह. सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर जिला-भीलवाड़ा कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)	

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) बदनोर

बईजलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–12/2019

उनवान

1– प्रेमदेवी पुत्री नानूराम नाई निवासी गजसिंहपुरा,हाल पत्नी नन्दलाल मु0 बालापुरा तहसील बदनोर।
2– सावित्री देवी पुत्री नानूराम, नाई निवासी गजसिंहपुरा, हाल पत्नी प्रभुलाल, मु0 पाटन तहसील बदनोर।
3– सीतादेवी पुत्री नानूराम नाई निवासी गजसिंहपुरा, हाल पत्नी देवीलाल मु0 सापोला तहसील बदनोर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1 धर्मीचन्द पुत्र नानूराम नाई निवासी गजसिंहपुरा तहसील बदनोर।
2– रामलाल पुत्र नानूराम नाई निवासी गजसिंहपुरा तहसील बदनोर।
3– मनोहरलाल पुत्र देवाराम नाई निवासी गजसिंहपुरा तहसील बदनोर।
4– गीतादेवी पत्नी देवाराम नाई निवासी गजसिंहपुरा तहसील बदनोर।
5– विमलादेवी पुत्री मिठूराम नाई निवासी गजसिंहपुरा हाल पत्नी गोपाल मु0झरडु का खेडा तहसील बदनोर।
6– ग्यारसीदेवी पुत्री मिठूराम नाई निवासी गजसिंहपुरा हाल पत्नी गोरधन मु0 आकडसादा तहसील बदनोर।
7– सीमादेवी पुत्री मिठूराम नाई निवासी गजसिंहपुरा हाल पत्नी मोहनलाल मु0 नई परासोली तहसील आसीन्द।
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बदनोर।

–विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री दौलतराज नागोडा, वकील प्रार्थी
श्री गोपाल गुर्जर वकील अप्रार्थी सं0 5,6,7

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 , राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

–:आदेश:–

दिनांक– 05.03.2021

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

G7
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

1– प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 से 7 की विरासतीय मोरुसी आराजी वाके ग्राम भैरुखेडा पटवार हल्का संग्रामगढ तहसील बदनोर की सरद की आराजी नंबर 131, 132, 133, 134, 189 कुल किता 5 रकबा 1.63 हैक्टयर भूमि के खातेदार श्रीमति सुगनी जोजे नानु नाई सा0देह के नाम जमाबन्दी संवत 2051 से 2061 में दर्ज होकर काबिज काश्त करते आयी और उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 से 7 तक आज दिन तक

G7

लगातार शांतिपूर्वक ढंग से बिना रोक टोक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

2— खातेदार श्रीमति सुगनी जोजे नानू नाई की मृत्यु होने से प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के दोरान पटवारी ने मजमे आम खाता पढने पर लोगो ने उनके विधिक वारिसान के नाम अन्दाज से आधे अधुरे बताये। मजमे आम मे बताया गये नाम की बिना जॉच किये नामान्तकरण सं0 46 खोला जिसमें धर्मीचन्द की जगह धर्मा, रामलाल की जगह रामा, मनोहर लाल की जगह विनोद किया और मृतक खातेदार सुगनी के 2 पुत्र देवाराम व मिठूराम इनसे पहले फौत हो गये जिनके विधिक वारिसान जीवित होते हुए भी सभी का नाम इन्तकाल में दर्ज नही करके केवल एक वारिस का ही नाम रखा जो कि मृतक देवाराम के पुत्र का नाम मनोहरलाल के बजाय विनोद गलत किया और उसकी पत्नी विपक्षी सं0 4 गीता देवी का नाम छोड दिया तथा मृतक मिठूराम की तीनो जाईन्दा पुत्रीयां विपक्षी सं0 5 से 7 तक के नाम छोडकर केवल उनकी पत्नी कमला का नाम रखा और प्रार्थीगण मृतक खातेदार सुगनी की जाईन्दा पुत्रीयां होने पर उनके नाम को भी विरासत के इन्तकाल में छोडने से प्रार्थीगण अपने विरासतीय हक हिस्से अनुसार खातेदारी हक से घोषणा कराने की विधिक अधिकारी है।

3— खातेदार श्रीमति सुगनीदेवी जोजे नानू नाई के जाईन्दा चार पुत्र देवाराम, मिठूराम, धर्मीचन्द, रामलाल व तीन पुत्रीया प्रेमदेवी, सावित्रीदेवी, सीतादेवी होने से वादग्रस्त मौरुसी आराजीयात में विरासत अनुसार मृतक खातेदार सुगनी के प्रत्येक विधिक वारिसान के 1/7, 1/7 हिस्से नाम पर दर्ज होना आवश्यक है लेकिन नामान्तकरण सं0 46 से केवल चार पुत्रों को ही हिस्सेदार रख कर प्रत्येक के 1/4, 1/4 हिस्सा गलत दर्ज करने से प्रार्थीगण अपने नाम इन्द्राज दुरुस्ती के जरिये खातेदारी हक से दर्ज कराने के विधिक अधिकारी है।

4— वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा और मृतक देवाराम के 1/7 हिस्से में पुत्र का नाम विनोद के बजाय मनोहरलाल के साथ ही मृतक की पत्नी प्रतिवादी सं0 4 गीतादेवी का नाम दर्ज कराना तथा मृतक मिठूराम के 1/7 हिस्से में उनकी पुत्रीयों प्रतिवादी सं0 5 से 7 तक के नाम उनकी मृतक माता कमला के स्थान पर दर्ज कराने के विधिक अधिकारी है।

5— प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 से 7 तक के विरासतीय वादग्रस्त आराजी में नामा0 सं0 46 से विपक्षी सं0 1, 2, 3 एवं विपक्षी सं0 5 से 7 की माता के नाम पर 1/4, 1/4 हिस्सा गलत दर्ज होने से अपने हिस्से की भूमि को किसी अन्य को बैचान करने के लिये दिनांक 14.10.2019 को प्रार्थीगण को जानकारी होने पर उन्है बैचान नही करने के लिये विपक्षीगण को कहा तो बैचान करने से नहीं रुकने एवं बैचान करने पर आमादा होने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर आज दिन तक निरन्तर जारी है।

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

6– विपक्षी संख्या 1 से 7 तक वादग्रस्त आराजियात को खुर्द–बुर्द करने व बैचान,दान,बयबक्षिस,वसियत,रहन आदि करने यानि राजस्व रेकार्ड व मौके की स्थिति मे परिवर्तन नही करे एवं नोकर,चाकर,ऐजेन्ट के मार्फत किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही प्रार्थीगण को कब्जे से हटाया जावें। तथा प्रार्थीगण की विरासतीय आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग प्रार्थीगण को करने देने हेतु विपक्षी सं0 1 से 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के प्रार्थीगण विधिक अधिकारी है।

7– प्रार्थीगण के माता सुगनी जोजे नानू नाई खातेदार काश्तकार होकर उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 से 7 तक लगातार शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी रोक–टोक काबिज होकर काश्त करने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया मामला होकर सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि प्रार्थीगण के पूर्वज की वादग्रस्त आराजी विपक्षी सं0 1 से 3 तथा 5 से 7 की माता के नाम पर होने से वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने व बैचान, दान, बयबक्षिस, वसियत, रहण आदि करने यानि राजस्व रेकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने कराने से रुकवाने के लिये विपक्षी सं0 1 से 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुल वाद के निस्तारण तक पाबन्द नहीं करवाया गया तो उक्त प्रार्थीगण की विरासतीय आराजीयात के हक हिस्से एवं कब्जे से प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि संभव नहीं है।

8– अन्त में अंकित किया गया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी सं0 1 से 7 तक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के माता श्रीमति सुगनी जोजे नानु नाई का विरासत गलत रुप से विपक्षी सं0 1 से 3 तथा 5 से 7 की माता के नाम पर होने से वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने व बैचान, दान, बक्षीस, रहन आदि करने यानि राजस्व रेकार्ड व मौके स्थिति में परिवर्तन करने कराने से रुकवाने के लिये विपक्षी सं0 1 से 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही प्रार्थीगण को कब्जे से हटाया जावे तथा प्रार्थीगण को विरासतीय आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

9– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 से 5 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 06.12.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। अप्रार्थी सं0 5, 6, 7 की और से दिनांक 12.02.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं0 8 के पेरोकार राज के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

10– तत्पश्चात वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि आराजी मुतदाविया प्रार्थीगण एवं

विपक्षी सं0 1 से 7 की मौरुसी पुस्तेनी आराजीयात है जो श्रीमति सुगनी जोजे नानू नाई के नाम दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार सुगनी के फोत होने पर उसकी विरासत का नामन्तकरण संख्या 46 खोला गया जो विधि विरुद्ध है। वकील प्रार्थी का यह भी कथन था कि मृतक खातेदार श्रीमति सुगनी के चार पुत्र व तीन पुत्रीयां कमशः देवाराम, मिठूराम, धर्मीचन्द, रामलाल, प्रेमदेवी, सावित्रीदेवी, सीतादेवी होते हुए भी राजस्व अधिकारियो के द्वारा धर्मा, रामा तथा देवाराम के पुत्र विनोद तथा मिठूराम की पत्नी कमला के नाम ही नामन्तकरण खोला गया है। जबकि प्रार्थीगण मृतक खातेदार की विधिक वारिसान होने से इनके नाम भी नामन्तकरण खुलना चाहिये था। वादग्रस्त आराजियात विपक्षी सं0 1, 2, 3 एवं विपक्षी सं0 5 से 7 की माता के नाम दर्ज रेकार्ड होने से वह आराजियात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिन्है अनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

11– जबकि वकील अप्रार्थी का कथन था कि नामन्तकरण सं0 46 कानून सही रुप से खोला गया है। चूंकि नामान्तकरण खोलने के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रीयों को आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक हीस्सा नहीं था। इसलिये प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में हक निहीत नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज योग्य है। अन्त में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज फरमाया जावें।

12– मेने वकील उभयपक्ष को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

13– प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 मौजा भैरुखेडा पटवार हल्का संग्रामगढ तहसील आसीन्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी नंबर 131, 132, 133, 134, 189 किता 5 रकबा 1.63 हैक्टयर भूमि श्रीमति सुगनी जोजे नानू नाई सा0देह गजसिंहपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 46 निर्णय दिनांक 16.12.2004 के अनुसार मृतक खातेदार सुगनी जोजे नानु की विरासत धर्मा, रामा पिता नानू, विनोद पिता देवा, कमला बेवा मिठू नाई साकिन गजसिंहपुरा के नाम स्वीकृत किया जाना तथा हाल राजस्व जमाबन्दी संवत् 2074 से 2074 मौजा भैरुखेडा पटवार हल्का संग्रामगढ तहसील बदनोर के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात किता 5 रकबा 1.63 हैक्टयर भूमि कमला पत्नी मिठू, धर्मा पिता नानू, रामा पिता नानू, विनोद पिता देवा के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है।

14– यहाँ प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात उनकी माता सुगनी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। सुगनी की मृत्यु के पश्चात जो नामन्तकरण संख्या 46 खोला गया है वह सुगनी के पुत्रों के नाम ही खोला गया है जबकि प्रार्थीगण भी मृतक खातेदार की पुत्रीयां होने से उनका भी वादग्रस्त आराजीयात में हक हिस्सा निहित है।

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

चूंकि यहां यह तो निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजियात सुगनी जोजे नानू के नाम दर्ज रेकार्ड थी और प्रार्थीगण मृतक खातेदार सुगनी की पुत्रीयां है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में दिये गये प्रावधानुसार मृतक खातेदार की संपति में उसके पुत्र व पुत्रीयों का समान हक हिस्सा माना गया है। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 46 के अनुसार मृतक खातेदार सुगनी की विरासत उसके दोनो पुत्र धर्मा व रामा तथा मृतक पुत्र देवा के पुत्र विनोद के नाम तथा मृतक पुत्र मिठू की बेवा के नाम ही निर्णित किया गया है जो प्रथम दृष्टया विधि सम्वत नहीं माना जा सकता। हालांकि यह तो मूल वाद में वाद साक्ष्य सबूत से तय होना है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त होंगे या नही चुँकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीण सं0 1, 2 एवं कमला पत्नी मिठू, विनोद पुत्र देवा के नाम दर्ज रिकार्ड है यदि उन्हें रोका नही गया तो वह अपने खाते के बल पर प्रार्थीगण को उनके हक हकूक की आराजीयात से बेदखल कर देंगे तथा आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थीगण अपने मौरुसी हक अधिकारों से वंचित रहकर उसे भारी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा। लिहाजा प्रथम दृश्टिया मामला सुविधा व न्याय सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में इस स्टेज पर प्रकट होने से प्रार्थना प्रत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

—:आदेश:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी सं0 1 से 7 को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मौजा भैरुखेडा पटवार हल्का संग्रामगढ तहसील बदनोर की आराजी नंबर 131, 132, 133, 134, 189 कुल किता 5 रकबा 1.63 हैक्टयर, भूमि को विकय करने कराने से रुके रहे तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूलवाद के साथ सलंग्न रहे। आदेश आज दिनांक 05.03.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाडा